भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी स्टाम्प 20 JUL 2018 कोड नं० 32

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EH 126427

<u>अनुबन्ध पत्र</u>

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर।
जनपद–गोरखपुर।

द्वितीय पक्ष (सेवाप्रदाता) — मेसर्स संतोष कुमार सिंह, न्यु काजाकपुर, गोरखपुर।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **<u>"सपोर्टिंग सुपरविजन"</u>** के संचालन के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन.एच.एम./एम0 एण्ड ई0/2018–19/01/792–75 दिनांक–03.05.2018 के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर के पत्रांक–संख्याएन0एच0एम0/ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/वाहन/ई–निविदा/2018–19/970 दिनांक 08/06/2018 द्वारा वित्तिय वर्ष को जनपद गोरखपुर में अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.08.2018 से 31.07.2020 (दो वर्ष तक के लिए) तक होगी। नवीन निविदा होने पर यह अनुबन्ध पत्र स्वतः समाप्त हो जायेगा।

1. द्वितीय पक्ष जिला गोरखपुर के विकास खण्ड बांसगांव, बेलघाट, डेरवा, खजनी, खेराबार, उरूवां, पिपरौली, गोला, गगहा, कौड़ीराम, ब्रह्मपुर, सरदार नगर, पिपराइच, भटहट, चरगांवा, कैम्पियरगंज, जंगल कौड़िया, पाली व सहजनवां में **<u>"सपोर्टिंग सुपरविजन"</u>** के अन्तर्गत स्वास्थ्य इकाई सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर वाहन संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन चार पहिया वाहन (5 सीटर सेडान) सफारी, सूमो, बोलेरो, इको अन्य सुविधा युक्त वाहन अनुबन्धित शर्तो की दर से अधिकतम 25 दिवस का भुगतान होगा।

ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए–
- वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन अनुबन्ध की तिथि से 04 वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिए। इससे अधिक पुराना न हो।
- वाहन जी.पी.आर.एस. युक्त हो।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में ईंधन द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं टीम या अन्य किसी प्रकार की क्षति जिसके क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्ष की कम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पर्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो की अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम प्राजेक्ट वैल्यू का 5 प्रतिशत की धरोहर राशि जमा करनी होगी, जो निविदा समाप्तोपरान्त प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

मे0 सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

Chief Medical Officer
Gorakhpur

3. "**सपोर्टिंग सुपरविजन**" के सफल संचालन हेतु वाहन चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर व पूरा पता अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र के पास साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा।
4. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा। जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियाजित कियं गयं वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका होई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी नशे की हालत में वाहन संचालन नही करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
6. द्वितीय पक्ष को आवंटित इकाई पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम 25 दिवस हेतु भुगतान किया जायेगा। प्रति माह 1500 किमी0 चलना होगा, 1500 किमी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने का प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वाहन बिल के साथ जी.पी.आर.एस डाटा संग्लन करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
8. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूटफूट 24 घण्टे के अन्दर सुधार सराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार–संबंधी एवं साहित्य आादि का परिचालन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
11. अनुबन्ध के समय कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा संबंधित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोनो पक्षो का मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा। वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का एवं कभी भी किसी समय निरस्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
13. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर वाहन चलाने हेतु अनुबन्ध किया जाता है। जो निम्नवत् है–

SNo	Block	Supporting Supervision	SNo	Block	Supporting Supervision
1	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र बेलघाट	UP53 ET2454	13	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र सहजनवां	UP53 DT5723
2	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र उरूवां	DL 1Z 6343	14	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र पिपराइच	UP56 T 6797
3	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र पिपरौली	UP53 ET2360	15	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र भटहट	UP53 DT7740
4	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र बांसगांव	UP53 DT1467	16	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र ब्रह्मपुर	UP53 DT2346
5	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र गोला	UP60 T 7044	17	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र कैम्पियरगंज	UP53 AY4326
6	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र गगहा	UP62 AV9805	18	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र चरगावां	UP53 ET2453
7	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र कौडीराम	UP53 CA8303	19	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र पाली	UP58 T 5477
8	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र खोराबार	UP53 CD9015	20	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र जं0 कौड़िया	UP53 ET3008
9	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र खजनी	UP53 BM8703	21	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र सरदार नगर	UP53 DT6829
10	सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र डेरवां	UP53 DT6462	22	कार्यालय अपर निदेशक गोरखपुर	UP53 DT6569
11	जिला मुख्यालय	UP53 DT3963	23	कार्यालय अपर निदेशक गोरखपुर	UP53 ET6516
12	जिला मुख्यालय	UP53 ET6515	24	कार्यालय अपर निदेशक गोरखपुर	UP53 ET6542

स्थान–गोरखपुर
दिनांक–01.08.2018

हस्ताक्षर
प्रो० सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
मेसर्स संतोष कुमार सिंह
न्यु काजाकपुर, गोरखपुर।
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर
(प्रथम पक्ष)

गवाहः–
1. Sunil Sharma
Surya Vihar Colony
Gorakhnath GKP.

2. Anand Kumar
Jagamandal, Gorakhpur

TIN No. : 09218620107 Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. .... Date 1-8-18

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–खोराबार गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53CD9015 संचालित की जा रही थी। कतिपय् कारणो से वाहन बदली जारही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP77L1837 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र–खोराबार गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह

सन्तोष कुमार सिंह

प्रोपराइटर

Seen

01/08/2018

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

आर०सी०एच०-गोरखपुर

IN No. : 09218620107

Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. ....

Date 28-9-18

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–पिपराइच गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53CD9015 माह सितम्बर में संचालित की गयी थी। दिनांक 01/10/2018 से वाहन संख्या UP53ET8134 उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET8134 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र– पिपराइच गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

Seen

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०-गोरखपुर

IN No. : 09218620107

Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. .... Date 29/8/18

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत करा़ना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–ब्रह्मपुर गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53DT2346 संचालित की जा रही थी। वाहन छतिग्रस्त होने का कारण बदली जारही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET7497 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपि:–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र– ब्रह्मपुर गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०-गोरखपुर

N No. : 09218620107 Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. .... **Date** 01/08/2018

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–पाली गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP58T5477 अनुबन्धित की गयी थी। वाहन मालिक द्वारा वाहन संचालन से इनकार कर दिया गया है जिसके स्थान पर वाहन संख्या UP53DT6762 उपलब्ध करायी जारही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53DT6762 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र–पाली गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

01/08/2018

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०-गोरखपुर

No. : 09218620107

Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. .... Date 30/08/18

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–जं0 कौड़िया गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET3008 संचालित की जा रही थी। कतिपय कारणों से वाहन बदली जा रही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET5203 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र– जं0 कौड़िया गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

Seen

30/08/2018
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०-गोरखपुर

No. : 09218620107

Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. ....

Date ...30-10-18...

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–जं0 कौड़िया गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET5203 संचालित की जा रही थी। कतिपय कारणों से वाहन बदली जा रही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET6524 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र– जं0 कौड़िया गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

Sees

30/10/2018

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०-गोरखपुर

No.: 09218620107 Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. .... Date 30-9-2018

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रा0/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र–सरदार नगर गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53DT6829 संचालित की जा रही थी। दिनांक 01/10/2018 से वाहन संख्या UP53ET6523 उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET6523 संचालित की जायेगी।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र–सरदार नगर गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह

सन्तोष कुमार सिंह

प्रोपराइटर

Seen

30/09/2018

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

आर०सी०एच०-गोरखपुर

TIN No. : 09218620107

Mob. No. : +91-9453170801

M/s SANTOSH KUMAR SINGH

ALL TYPE OF WORK CONTRACTS & SUPPLYERS

New Kajakpur, P.O. Rampur, Gorakhpur

Ref. No. ....

Date 30/09/2018

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गोरखपुर

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मेसर्स संतोष कुमार सिंह द्वारा जिला मुख्यालय गोरखपुर में सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET6515 संचालित की जा रही थी। फर्म द्वारा वाहन संख्या UP53ET6516 उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः सर्पोटिंग सुपर विजन कार्यक्रम के तहत वाहन संख्या UP53ET6516 संचालित की जायेगी।

मेसर्स सन्तोष कुमार सिंह
सन्तोष कुमार सिंह
प्रोपराइटर

30/09/2018
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०-गोरखपुर

Gorakhpur Supporting Supervision Vehicle Current Status Nov.-2018

SL No.	Name of Division	Name of District	Name of Block	Registration No.	Date of Hiring	Agreement Copy Attached (Y/N)
1	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र बेलघाट	UP53 ET2454	01.08.2018	Yes
2	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र उरूवां	DL 1Z 6343	01.08.2018	Yes
3	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र पिपरौली	UP53 ET2360	01.08.2018	Yes
4	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र बांसगांव	UP53 DT1467	01.08.2018	Yes
5	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र गोला	UP60 T 7044	01.08.2018	Yes
6	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र गगहा	UP62 AV9805	01.08.2018	Yes
7	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र कौड़ीराम	UP53 CA8303	01.08.2018	Yes
8	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र खोराबार	UP77 L1837	01.08.2018	Yes
9	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र खजनी	UP53 BM8703	01.08.2018	Yes
10	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र डेरवां	UP53 DT6462	01.08.2018	Yes
11	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र सहजनवां	UP53DT5723	01.08.2018	Yes
12	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र पिपराइच	UP53ET8134	01.08.2018	Yes
13	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र भटहट	UP53DT7740	01.08.2018	Yes
14	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र ब्रह्मपुर	UP53ET7497	01.08.2018	Yes
15	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र कैम्पियरगंज	UP53AY4326	01.08.2018	Yes
16	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र चरगावां	UP53ET2453	01.08.2018	Yes
17	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र पाली	UP53DT6762	01.08.2018	Yes
18	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र जं0 कौड़िया	UP53ET6524	01.08.2018	Yes
19	Gorakhpur	Gorakhpur	सामू. / प्रा. स्वा. केन्द्र सरदार नगर	UP53ET6523	01.08.2018	Yes

24-12-18

मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर

Gorakhpur Supporting Supervision Vehicle Hiring District Level Information 2018-19

SL No.	Name of District	Name of Agreement Signing Office	Vehicle No.1	Date of Hiring	Vehicle No.2	Date of Hiring	Agreement Copy Attached (Y/N)
1	Gorakhpur	CMO Gorakhpur	UP53DT3963	01.08.2018 to 31.07.2020	UP53DT6313	01.08.2018	Yes

24-12-18

मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर

Gorakhpur Supporting Supervision Vehicle Hiring Division Level Information 2018-19

SL No.	Name of Division	Name of Agreement Signing Office	Registration No.	Date of Hiring	Agreement Copy Attached (Y/N)
1	Gorakhpur	CMO Gorakhpur	UP53DT6569	01.08.2018	Yes
2	Gorakhpur	CMO Gorakhpur	UP51AF6333	01.08.2018	Yes
3	Gorakhpur	CMO Gorakhpur	UP53ET6542	01.08.2018	Yes

मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर